20/9/21 आज पत्रावली वादी एवं वकील वादी की बाद विड्रॉ करने बाबत की द० पेश होने पर पेश हुई प्रार्थना पत्र वादी एवं वकील वादी की सुना गया। वादी वकील ने प्रकरण विड्रॉ करने बाबत निवेदन किया। वादी ने सहमति व मय कथन हलफनामा दिया जिसकी सहमति वकील वादी की अंकित रजिस्टर की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है। रजिस्टर पत्रावली हो एवं वाद के बाद की अग्रिम कार्यवाही इसी तरह ड्रॉप कर विड्रॉ वाद की कार्यवाही दर्ज की जाकर फाईल खारिज हो नम्बर कर्ज्या पोस्ट कमीनल्स जिला लेकर जाकर हो। सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बीमारा (अलवर)

राजेन्द्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2022.10.28 10:45:50 IST
Reason: SelfAttested